राजस्व वाद 164/2024
जीसीएमएस नंबर–2024/
लक्ष्मणराम वगैरह बनाम गोपालराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास अभिलाषा, आर.ए.एस.

वादीगण–

राजस्व वाद संख्या : 164/2024

1. लक्ष्मणराम पुत्र सुखाराम
2. सज्जनदेवी पत्नी सुखाराम
   जातियान–राईका, निवासी रूपनगर तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. गोपालराम पुत्र गिरधारीराम
2. जिमना पुत्री गिरधारीराम
3. धाया देवी पुत्री गिरधारीराम
4. संतोष पुत्री गिरधारीराम
5. सांवरी देवी पत्नी गिरधारीराम जातियान–राईका निवासी रूपनगर, जायल।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवराज रिणवा
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवराज रिणवा प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि– मौजा बडी खाटु में खाता संख्या 99 के खेत खसरा नंबर 514 रकबा 2.0558 हैक्टेयर व मौजा रूपनगर के खाता संख्या 35 के खेत खसरा नंबर 539 रकबा 1.3112 हैक्टेयर, मौजा रूपनगर के खाता संख्या 36 के खेत खसरा नंबर 531 रकबा 3.3913 हैक्टेयर, खसरा नंबर 542 रकबा 1.2950 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 543 रकबा 1.0926 हैक्टेयर, खसरा नंबर 566 रकबा 0.5585 हैक्टेयर, खसरा नंबर 633 रकबा 2.8814 हैक्टैयर, खसरा नंबर 651 रकबा 4.1035 हैक्टेयर, खसरा नंबर 652 रकबा 2.6143 हैक्टैयर, मौजा रूपनगर के खाता संख्या 34 में खेत खसरा नंबर 654 रकबा 2.9866 हैक्टेयर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 5 को सहखातेदार घोषित कर मुतदाविया भूमि का बंटवाड़ा/विभाजन वादपत्र माफिक एवं साक्ष्य सबूत ईकबाली जबाब अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया किया जाता है।

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ. जायल

शिवराज रिणवा

1. वादी लक्ष्मणराम व सज्जन देवी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रूपनगर का खेत खसरा नम्बर 651 रकबा 4.1035 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 654 रकबा 2.9866 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 633 रकबा 2.8814 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 566 रकबा 0.5585 हैक्टेयर पूरा, मौजा बडी खादु का खेत खसरा नम्बर 514 रकबा 2.0558 हैक्टेयर में से 0.6151 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के क्रमशः गोपालराम, जिमना, धायादेवी, संतोष व भंवरी देवी के सहखातेदारी में मौजा रूपनगर का खेत खसरा नम्बर 531 रकबा 3.3913 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 542 रकबा 1.2950 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 543 रकबा 1.0926 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 539 रकबा 1.3112 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 652 रकबा 2.6143 हैक्टेयर पूरा तथा मौजा बडीखाटू का खेत खसरा नम्बर 514 रकबा 2.0558 हैक्टेयर में से 1.4407 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
4. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल –(नागौर)

Scanned with CamScanner